

भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2023

क्रमांक— 394 /मप्रविनिआ/2023 : विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 181(2) (यध) के साथपठित धारा 61 के अधीन प्रदत्त तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद द्वारा मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2020, (पुनरीक्षण चार) {आरजी—26(IV), वर्ष 2020} (जिसे एतद पश्चात् “मूलविनियम” कहा गया है) का संशोधन करने के लिये निम्न विनियम बनाता है, अर्थात् :

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2020, में द्वितीय संशोधन {एआरजी—26(IV)(ii) वर्ष 2023}

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:

1.1 इन विनियमों का संक्षिप्त नाम “मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (द्वितीय संशोधन) विनियम, 2020, {एआरजी—26(IV)(ii) वर्ष 2023} है।

1.2 ये विनियम इनके शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मूल विनियमों के विनियम 3 में संशोधन:

2.1 मूल विनियमों के विनियम 3 के खण्ड (5) के पश्चात् एक नवीन खण्ड (5 क) निम्नानुसार अन्तः स्थापित किया जाए :

“(5क) ‘उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु सहायक ऊर्जा खपत’ अथवा AUXe' से कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र के प्रकरण में किसी अवधि के संदर्भ में अभिप्रेत है कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र की उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के सहायक उपकरण द्वारा खपत की गई ऊर्जा की मात्रा ;”

2.2 मूल विनियमों के विनियम 3 के खण्ड (19) के पश्चात् एक नवीन खण्ड, अर्थात् खण्ड (19क) निम्नानुसार अन्तःस्थापित किया जाए :

“(19क)“उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली” से अभिप्रेत हैपुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों की पूर्ति हेतु कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में स्थापित किये जाने वाले वांछित उपकरणों अथवा यन्त्रों का समुच्चय (सेट) ;”

- 2.3 मूल विनियमों के विनियम 3 के खण्ड (42) में शब्दों में “मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत (मेगावाट में) को घटाकर इसे स्थापित क्षमता के प्रतिशत में व्यक्त किया जाएगा” के स्थान पर शब्द “जिनमें से इन विनियमों के अनुसार मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत तथा मानदण्डीय उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली क्षमता (मेगावाट में) के प्रतिशत में व्यक्त किया जाएगा” स्थापित किये जाएं।
- 2.4 मूल विनियमों के विनियम 3 के खण्ड (43) के स्थान पर निम्नानुसार खण्ड(43) स्थापित किया जाए :

“(43)“संयन्त्र भार कारक” से किसी ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र या किसी इकाई (यूनिट) के संबंध में किसी प्रदत्त अवधि से अभिप्रेत है, उक्त अवधि के दौरान अनुसूचित विद्युत उत्पादन से तत्संबंधी प्रेषित की गई कुल ऊर्जा की मात्रा जिसे अवधि के दौरान स्थापित क्षमता से तत्संबंधी प्रेषित ऊर्जा के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है तथा इसकी गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

N

$$PLF = \frac{10000 \times \sum SGI}{\{N \times IC \times (100 - AUXn - AUXen)\}} \%$$

i=1

जहां,

IC = विद्युत उत्पादन केन्द्र या इकाई की मेगावाट में व्यक्त की गई स्थापित क्षमता,

SG Δ = अवधि के i वें समय खण्ड हेतु मेगावाट में व्यक्त किया गया अनुसूचित विद्युत उत्पादन,

N = अवधि के दौरान समय खण्डों की संख्या,

AUXn = मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत जिसे विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है, तथा

AUXen=उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत जिसे सकल विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है, जहां कहीं भी यह प्रयोज्य हो।

- 2.5 मूल विनियमों के विनियम 3 के खण्ड (56) में शब्दों “या इनके किसी संयोजन के उपयोग” के पश्चात् शब्द “या कोयले के साथ बाओमास के सह-जलावन (को-फायरिंग) द्वारा” अन्तःस्थापित किये जाएं।
3. मूल विनियमों के विनियम 4 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 4 में खण्ड 4.1(2)(xi) के पश्चात् निम्नानुसार खण्ड 4.1(3) स्थापित किया जाए :

“(3) “प्रचालन की तिथि या 'ODE' जो उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली से संबद्ध है, से अभिप्रेत है। समस्त प्रयोज्य तकनीकी तथा पर्यावरणीय मानकों की पूर्ति के पश्चात् उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली को उपयोग में लाये जाने की तिथि जिसे प्रबन्धन प्रमाणपत्र (मैनेजमेंट सर्टिफिकेट) के माध्यम से किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसका पदभार विद्युत उत्पादन कम्पनी के संचालक पद से कम न होगा।”

4. मूल विनियमों के विनियम 5 में संशोधन

4.1 मूल विनियमों के विनियम 5.1 की प्रथम पंक्ति में शब्दों ‘के बारे में’ के पश्चात् तथा शब्दों ‘विद्युत दर का अवधारण’ से पूर्व शब्दों ‘उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली को समिलित करते हुए, जहां कहीं भी यह प्रयोज्य हो’ को अन्तःस्थापित किया जाए।

4.2 मूल विनियमों के विनियम 5.5 के स्थान पर निम्नानुसार विनियम स्थापित किया जाए :

“पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के क्रियान्वयन हेतु संस्थापित परिसम्पत्तिया उत्पादन योजना का ही भाग होंगी तथा संबंधित विद्युत-दर का अवधारण पृथक से इन विनियमों के विनियम 6.1 के द्वितीय परन्तुक के अधीन दाखिल आवेदन के अनुसार किया जाएगा।”

5. मूल विनियमों के विनियम 6 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 6.1 के अधीन एक नवीन परन्तुक, अर्थात् द्वितीय परन्तुक निम्नानुसार जोड़ा जाए :

“परन्तु यह कि विद्युत उत्पादन कम्पनी को इन विनियमों के अनुसार ऐसी उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की प्रचालन तिथि से 60 दिवस के भीतर कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में संस्थापित उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु अनुपूरक विद्युत-दर के अवधारण हेतु एक आवेदन प्रस्तुत करना होगा।”

6. मूल विनियमों के विनियम 16 में संशोधन

विनियम 16.2 में शब्दों 'अतिरिक्त पूंजीकरण हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार' के स्थान पर शब्द 'अनुपूरक विद्युत-दर (टैरिफ) जिसमें अनुपूरक क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार सम्मिलित होंगे' स्थापित किये जाएं।

7. मूल विनियमों के विनियम 17 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 17.1 के परन्तुक के पश्चात् एक नवीन विनियम, नामतः विनियम 17.2 निम्नानुसार जोड़ा जाए :

"17.2 अनुपूरक क्षमता प्रभार : अनुपूरक क्षमता प्रभारों को उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की वार्षिक स्थाई लागत (AFCe) के आधार पर व्युत्पादित किया जाएगा। उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु वार्षिक स्थाई लागत में इस विनियम के विनियम 17.1 के क्रमांक (क) से (ड) तक सूचीबद्ध किये गये अनुसार घटक सम्मिलित होंगे।"

8. मूल विनियमों के विनियम 18 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 18 के द्वितीय परन्तुक में शब्दों "आयोग द्वारा" के पश्चात् तथा शब्दों "पृथक से किया जाएगा" से पूर्व शब्दों "इन विनियमों के विनियम 43 के अनुसार" स्थापित किया जाए।

9. मूल विनियमों के विनियम 21 में संशोधन

9.1 खण्ड (बारह) के अन्त में शब्द "और" को विलोपित किया जाए तथा खण्ड (तेरह) के अन्त में ";" के पश्चात् शब्द "और" स्थापित किया जाए।

9.2 मूल विनियमों के विनियम 21.2 के खण्ड (तेरह) के पश्चात् नवीन खण्ड (चौदह) निम्नानुसार जोड़ा जाए :

"(चौदह) सह-जलावन (को-फायरिंग) हेतु बाओमास हथालन उपकरण तथा सुविधाओं के कारण होने वाला पूंजीगत व्यय।"

10. मूल विनियमों के विनियम 23 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 23.5 के पश्चात् नवीन विनियम, अर्थात्, 23.6 निम्नानुसार जोड़ा जाए :

"23.6 इस विनियम के विनियम 23.4 तथा 23.5 के प्रयोजन हेतु वास्तविक ऋण पर निर्माण के दौरान ब्याज (IDC) तथा निषेचित (इन्फ्यूस्ड) मानदण्डीय ऋण पर विचार किया जाएगा।

11. मूल विनियमों के विनियम 25 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 25.1 के परन्तुक के पश्चात् एक नवीन परन्तुक निम्नानुसार जोड़ा जाए :

“परन्तु यह और कि जहां उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली स्थापित की गई हो वहां इस विनियम में निर्दिष्ट किये गये अनुसार कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु प्रारंभिक कलपुर्जों के मानदण्ड लागू होंगे।”

12. मूल विनियमों के विनियम 28 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 28.1 के खण्ड (एफ) के पश्चात् नवीन खण्ड (जी) निम्नानुसार जोड़ा जाये :

(जी) “ सह – जलावन (को-फायरिंग) हेतु बाओमास हथालन उपकरण तथा सुविधाओं के कारण होने वाला पूंजीगत व्यय ।”

13. मूल विनियमों के विनियम 31में संशोधन

मूल विनियम के विनियम 31.4 के पश्चात् नवीन विनियम 31.5 निम्नानुसार जोड़ा जाए :

“**31.5** उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के कारण अनुन्मुक्त देयता (अन डिस्चार्जड लायबिलिटी), यदि कोई हो, को उक्त वर्ष के दौरान जब इसे उन्मुक्त किया गया हो, युवित्संगत जांच-पड़ताल के अध्यधीन अनुज्ञेय किया जाएगा।”

14. मूल विनियमों के विनियम 33 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 33.5 के पश्चात् नवीन विनियम 33.6 निम्नानुसार जोड़ा जाए :

“**33.6** विद्युत-दर (टैरिफ) की अवधि के दौरान उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु किया गया कोई भी व्यय जैसा कि वह आयोग द्वारा अनुपूरक विद्युत-दर के अवधारण हेतु अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के रूप में स्वीकार किया जाए, को इस विनियम के विनियम 33.1 में निर्दिष्ट की गई रीति के अनुसार सेवाकृत किया जाएगा।”

15. मूल विनियमों के विनियम 34 में संशोधन

15.1 मूल विनियमों के विनियम 34.2 के पश्चात् एक नवीन परन्तुक निम्नानुसार जोड़ा जाए :

“परन्तु यह और कि उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण को छोड़ कर कार्य के मूल विस्तार क्षेत्र से आगे पृथक्कृत (कट ऑफ) तिथि के पश्चात् अतिरिक्त पूंजीकरण के बारे में पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना विद्युत उत्पादन केन्द्र की वास्तविक ऋण निवेश-सीमा (पोर्टफोलियो) पर की जाएगी या फिर वास्तविक ऋण निवेश-सीमा (पोर्टफोलियो) की अनुपस्थिति में, विद्युत उत्पादन की भारित औसत दर पर समग्र रूप से 14% की उच्चतम सीमा के अध्यधीन विचार किया जाएगा।”

- 15.2 विनियम 34.2 के उपरोक्त कथित परन्तुक के पश्चात् एक नवीन विनियम 34.3 निम्नानुसार जोड़ा जाए :

34.3 ‘उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के कारण अतिरिक्त पूंजीकरण के बारे में पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना उक्त वर्ष के दौरान जब प्रचालन तिथि (ODe) घटित हो, में 350 आधार बिन्दु जोड़कर, 14% की उच्चतम सीमा के अध्यधीन वर्ष की अप्रैल माह की प्रथम दिनांक को एकल वर्ष ऋण दर की उपान्तिक लागत(marginal cost of lending rate) की आधार दर पर की जाएगी।’

16. मूल विनियमों के विनियम 36 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 36 के विनियम 36.4 के पश्चात् नवीन विनियम 36.4 क,निम्नानुसार स्थापित किया जाए :

“36.4 क उत्सर्जन प्रणाली हेतु ब्याज दर उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के वास्तविक ऋण निवेश सीमा (पोर्टफोलियो) की भारित औसत दर होगी या वास्तविक ऋण निवेश-सीमा की अनुपस्थिति में विद्युत उत्पादन कम्पनी की भारित औसत ब्याज दर पर समग्र रूप से विचार किया जाएगा।”

17. मूल विनियमों के विनियम 37 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 37.9 के पश्चात् दो नवीन विनियम, अर्थात्, विनियम 37.10 तथा 37.11 निम्नानुसार जोड़े जाएं :

“37.10 जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र के कार्य की मूल विस्तार क्षेत्र की सीमा के भीतर उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली क्रियान्वित की जाती हो तथा विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तथा उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की प्रचालन तिथि एक समान हो वहां विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई का अवमूल्यन/अवक्षयण, उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली को सम्मिलित करते हुए, की गणना इस विनियम के विनियम 37.1 से 37.9 के अनुसार की जाएगी।

37.11 किसी विद्यमान अथवा नवीन विद्युत उत्पादन केन्द्र या उस की किसी इकाई हेतु उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली का अवमूल्यन/अवक्षयण जहां उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की प्रचालन तिथि विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई की वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के उपरान्त हो, की गणना नियत किस्त पद्धति (स्ट्रेट लाइन मैथड) वार्षिक तौर पर 10 प्रतिशत के उपादेय मूल्य (सैल्वेज वैल्यू) के साथ प्रचालन तिथि से निम्न दर्शाई गई अवधि हेतु निम्नानुसार की जाएगी :

- क. यदि विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की प्रचालन तिथि की स्थिति में 15 वर्षों या उससे कम अवधि हेतु प्रचालन में हो तो 25 वर्ष ; अथवा
- ख. यदि विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी कोई इकाई उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की प्रचालन तिथि को 15 वर्ष से अधिक अवधि हेतु प्रचालन में हो तो विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी इकाई के अवशेष उपयोगी जीवनकाल में 15 वर्ष की अवधि को जोड़कर ; अथवा
- ग. यदि विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी किसी इकाई द्वारा 15 वर्ष उपयोगी जीवन कालपूर्ण कर लिया हो तो

18. मूल विनियमों के विनियम 38 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 38.1 के खण्ड क के पश्चात् नवीन विनियम, अर्थात्, खण्ड कक निम्नानुसार जोड़ा जाए :

“कक. कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों की उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु :

- (एक) मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक के तत्संबंधी 30 दिवस के भण्डारण हेतु चूनापत्थर (लाइमस्टोन) या अभिकर्मक (रीएजन्ट) की लागत;
- (दो) मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक के तत्संबंधी विद्युत उत्पादन हेतु अभिकर्मक (रीएजन्ट) की लागत हेतु 30 दिवस का अग्रिम भुगतान ;
- (तीन) विद्युत के विक्रय हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार तथा अनुपूरक ऊर्जा प्रभार के संबंध में 45 दिवस के बराबर प्राप्ति योग्य सामग्री गणना मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक के आधार पर की जाएगी ;

(चार) उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के संबंध में एक माह हेतु प्रचालन एवं संधारण व्यय; और

(पांच) उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के संबंध में संधारण हेतु कलपुर्जे पर व्यय संचालन एवं संधारण के व्यय की 20 प्रतिशत की दरसे।"

19. मूल विनियमों के विनियम 40 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 40.2 के अन्तर्गत द्वितीय परन्तुक के प्रथम वाक्य के अंत में "पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा अधिसूचित विशिष्ट जल खपत के मानदण्डों पर विचार करते हुए" को अन्तःस्थापित किया जाए।

20 मूल विनियमों के विनियम 41 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 41 में विनियम 41.3 के पश्चात् नवीन विनियम 41.4 मय इसके परन्तुक के निम्नानुसार स्थापित किया जाए :

"41.4 कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र में उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के कारण इसके प्रचालन की तिथि की स्थिति में प्रचालन एवं संधारण व्यय स्वीकृत पूंजीगत व्यय (निर्माण के दौरान ब्याज तथा निर्माण के दौरान आनुषंगिक व्यय को छोड़कर) का 2% होगा जिसमें 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान प्रतिवर्ष 3.5% की दर से वृद्धि की जाएगी :

परन्तु यह कि जिप्सम तथा अन्य उपोत्पादों (बाई-प्रोडक्ट्स) के विक्रय से प्राप्त होने वाली आय को संचालन तथा संधारण व्ययों में से घटा दिया जाएगा।"

21. मूल विनियमों के विनियम 42 में संशोधन

21.1 मूल विनियमों के विनियम 42 के विद्यमान शीर्षक के स्थान पर शीर्षक "क्षमता प्रभारों, अनुपूरक क्षमता प्रभारों, ऊर्जा प्रभारों तथा अनुपूरक ऊर्जा प्रभारों की संगणना" स्थापित किया जाए।

21.2 विनियम 42 के विनियम 42.2 के अन्तर्गत सूत्र के पश्चात् परन्तुक में शब्दों "नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण" के स्थान पर शब्द "यथारिथ्ति, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण या उत्सर्जन प्रणाली की स्थापना" स्थापित किये जाएं।

21.3 विद्यमान विनियम 42.5 के स्थान पर नवीन विनियम 42.5 मय कथित विनियम के परन्तुक के निम्नानुसार स्थापित किया जाए :

“42.5 किसी माह हेतु संयन्त्र उपलब्धता कारक (PAFM) की गणना निम्नसूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$PAFM = 10000 \times \sum_{i=1}^N DCi / [N \times IC(100 - AUXn - AUXen)] \%$$

जहां,

AUX = मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत, जो सकल ऊर्जा उत्पादन का प्रतिशत है

AUXn = उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत है

DCi = औसत घोषित क्षमता (एक्स-बस मेगावाट में) अवधि के दौरान i वें दिवस हेतु अर्थात् माह अथवा वर्ष, यथा स्थिति, जैसा कि संबंधित भार प्रेषण केन्द्र द्वारा दिवस की समाप्ति पश्चात् प्रमाणित किया गया हो

IC - विद्युत उत्पादन केन्द्र की स्थापित क्षमता (मेगावाट में)

N - अवधि के दौरान दिवस संख्या

टीप : DCi तथा IC में उन उत्पादन इकाईयों की क्षमता को शामिल नहीं किया जाएगा जिन्हें वाणिज्यिक प्रचालन के अधीन घोषित न किया गया हो। संबंधित अवधि के दौरान स्थापित क्षमता में परिवर्तन होने की दशा में, इसके औसत मूल्य का अनुप्रयोग किया जाएगा।”

22. मूल विनियमों में नवीन विनियम 42 के जोड़ा जाए :

मूल विनियमों के विनियम 42 के पश्चात् एक नवीन विनियम, अर्थात् 42 के निम्नानुसार जोड़ा जाए :

“42 क. कोयला आधारित ताप विद्युत केन्द्रों हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार की गणना तथा भुगतान :

- (1) किसी उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु स्थाई लागत की गणना इन विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुसार वार्षिक आधार पर की जाएगी तथा इनकी वसूली मासिक आधार पर अनुपूरक क्षमता प्रभार के अन्तर्गत की जाएगी। किसी विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु भुगतान योग्य कुल अनुपूरक क्षमता प्रभारों को उसके हितग्राहियों के मध्य उनका प्रतिशत अंशदान या विद्युत उत्पादन केन्द्र की क्षमता के आवंटन के आधार पर परस्पर विभाजित किया जाएगा। अनुपूरक क्षमता प्रभार की वसूली वर्ष के दौरान दो खण्डों में की जाएगी, अर्थात् उच्च मांग मौसम (जिसकी अवधि तीन माह होगी) तथा निम्न

मांग मौसम (जिसकी अवधि वर्ष के अवशेष नौ माह होगी) तथा प्रत्येक मौसम के अन्तर्गत दो भागों में, अर्थात् माह के शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार तथा माह के शीर्ष बाह्य (अ-व्यस्ततम) घंटों हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार, निम्नानुसार की जाएगी :

वर्ष हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार (SCCy) = उच्च मांग मौसम के तीन माह हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभारों का योग + निम्न मांग मौसम के नौ माह हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार का योग।

- (2) किसी कलेण्डर माह हेतु ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र को देय अनुपूरक क्षमता प्रभार की गणना निम्नसूत्र के अनुसार की जाएगी :

मह हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार (SCCm) = शीर्ष (व्यस्ततम) घंटो हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार (SCCp) + माह के शीर्ष बाह्य (अ-व्यस्ततम) घंटो हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार (SCCop), जहाँ

उच्च मांग मौसम :

$$SCCP_1 = (0.20 \times AFC_e) \times (1/12) \times \left(\frac{PAFMP_1}{NAPAF} \right) \text{उच्चतमसीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (1/12)$$

$$SCCP_2 = \{(0.20 \times AFC_e) \times (1/6) \times \left(\frac{PAFMP_2}{NAPAF} \right) \text{उच्चतमसीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (1/6)\} - SCCP_1$$

$$SCCP_3 = \{(0.20 \times AFC_e) \times (1/4) \times \left(\frac{PAFMP_3}{NAPAF} \right) \text{उच्चतमसीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (1/4)\} - (SCCP_1 + SCCP_2)\}$$

$$SCCOP_1 = (0.80 \times AFC_e) \times (1/12) \times \left(\frac{PAFMOP_1}{NAPAF} \right) \text{उच्चतमसीमा के अध्यधीन} \\ (0.80 \times AFC_e) \times (1/12)$$

$$SCCOP_2 = \{(0.80 \times AFC_e) \times (1/6) \times \left(\frac{PAFMOP_2}{NAPAF} \right) \text{उच्चतमसीमा के अध्यधीन} \\ (0.80 \times AFC_e) \times (1/6)\} - SCCP_1$$

$$SCCOP_3 = \{(0.80 \times AFC_e) \times (1/4) \times \left(\frac{PAFMOP_3}{NAPAF} \right) \text{उच्चतमसीमा के अध्यधीन} \\ (0.80 \times AFC_e) \times (1/4)\} - (SCCP_1 + SCCP_2)\}$$

न्यूनमांगमौसम :

$$SCC_{P1} = \{(0.20 \times AFC_e) \times (1/12) \times \left(\frac{PAFMP_1}{NAPAF}\right)\} \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (1/12)\}$$

$$SCC_{P2} = \{(0.20 \times AFC_e) \times (1/6) \times \left(\frac{PAFMP_2}{NAPAF}\right)\} \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (1/6)\} - SCCP_1$$

$$SCC_{P3} = \{(0.20 \times AFC_e) \times (1/4) \times \left(\frac{PAFMP_3}{NAPAF}\right)\} \text{की उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (1/4)\} - (SCCP_1 + SCCP_2)$$

$$SCC_{P4} = \{(0.20 \times AFC_e) \times (1/3) \times \left(\frac{PAFMP_4}{NAPAF}\right)\} \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (1/3)\} - (SCCP_1 + SCCP_2 + SCCP_3)$$

$$SCC_{P5} = \{(0.20 \times AFC_e) \times (5/12) \times \left(\frac{PAFMP_5}{NAPAF}\right)\} \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (5/12)\} - (SCCP_1 + SCCP_2 + SCCP_3 + SCCP_4)$$

$$SCC_{P6} = \{(0.20 \times AFC_e) \times (1/2) \times \left(\frac{PAFMP_6}{NAPAF}\right)\} \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (1/2)\} - (SCCP_1 + SCCP_2 + SCCP_3 + SCCP_4 + SCCP_5)$$

$$SCC_{P7} = \{(0.20 \times AFC_e) \times (7/12) \times \left(\frac{PAFMP_7}{NAPAF}\right)\} \text{की उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (7/12)\} - (SCCP_1 + SCCP_2 + SCCP_3 + SCCP_4 + SCCP_5 + SCCP_6 + SCCP_7)$$

$$SCC_{P8} = \{(0.20 \times AFC_e) \times (2/3) \times \left(\frac{PAFMP_8}{NAPAF}\right)\} \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (2/3)\} - (SCCP_1 + SCCP_2 + SCCP_3 + SCCP_4 + SCCP_5 + SCCP_6 + SCCP_7)$$

$$SCC_{P9} = \{(0.20 \times AFC_e) \times (3/4) \times \left(\frac{PAFMP_9}{NAPAF}\right)\} \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.20 \times AFC_e) \times (3/4)\} - (SCCP_1 + SCCP_2 + SCCP_3 + SCCP_4 + SCCP_5 + SCCP_6 + SCCP_7 + SCCP_8)$$

$$SCC_{op1} = (0.80 \times AFC_e) \times (1/12) \times \left(\frac{PAFMP_{op1}}{NAPAF}\right) \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.80 \times AFC_e) \times (1/12)$$

$$SCC_{op2} = \{(0.80 \times AFC_e) \times (1/6) \times \left(\frac{PAFMP_{op2}}{NAPAF}\right)\} \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.80 \times AFC_e) \times (1/6)\} - SCC_{op1}$$

$$SCC_{op3} = \{(0.80 \times AFC_e) \times (1/4) \times \left(\frac{PAFMP_{op3}}{NAPAF}\right)\} \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.80 \times AFC_e) \times (1/4)\} - (SCC_{op1} + SCC_{op2})$$

$$SCC_{op4} = \{(0.80 \times AFC_e) \times (1/3) \times \left(\frac{PAFMP_{op4}}{NAPAF}\right)\} \text{उच्चतम सीमा के अध्यधीन}$$

$$(0.80 \times AFC_e) \times (1/3)} - (SCC_{op1} + SCC_{op2} + SCC_{op3})$$

$$SCC_{op5} = \{(0.80 \times AFC_e) \times (5/12) \times \left(\frac{PAFMop5}{NAPAF}\right)\} \text{ उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.80 \times AFC_e) \times (5/12)} - (SCC_{op1} + SCC_{op2} + SCC_{op3} + SCC_{op4})$$

$$SCC_{op6} = \{(0.80 \times AFC_e) \times (1/2) \times \left(\frac{PAFMop6}{NAPAF}\right)\} \text{ उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.80 \times AFC_e) \times (1/2)} - (SCC_{op1} + SCC_{op2} + SCC_{op3} + SCC_{op4} + SCC_{op5})$$

$$SCC_{op7} = \{(0.80 \times AFC_e) \times (7/12) \times \left(\frac{PAFMop7}{NAPAF}\right)\} \text{ उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.80 \times AFC_e) \times (7/12)} - (SCC_{op1} + SCC_{op2} + SCC_{op3} + SCC_{op4} + SCC_{op5} + SCC_{op6})$$

$$SCC_{op8} = \{(0.80 \times AFC_e) \times (2/3) \times \left(\frac{PAFMop8}{NAPAF}\right)\} \text{ उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.80 \times AFC_e) \times (2/3)} - (SCC_{op1} + SCC_{op2} + SCC_{op3} + SCC_{op4} + SCC_{op5} + SCC_{op6} + SCC_{op7})$$

$$SCC_{op9} = \{(0.80 \times AFC_e) \times (3/4) \times \left(\frac{PAFMop9}{NAPAF}\right)\} \text{ उच्चतम सीमा के अध्यधीन} \\ (0.80 \times AFC_e) \times (3/4)} - (SCC_{op1} + SCC_{op2} + SCC_{op3} + SCC_{op4} + SCC_{op5} + SCC_{op6} + SCC_{op7} + SCC_{op8})$$

परन्तु ऐसी स्थिति में जहां विद्युत उत्पादन केन्द्र या उसकी कोई इकाई जो नवीनीकरण अथवा आधुनिकीकरण के कारण बन्द (शट डाउन) हो वहां विद्युत उत्पादन कम्पनी को केवल उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली से संबद्ध संचालन एवं संधारण व्ययों तथा ऋण पर ब्याज की वसूली किये जाने हेतु अनुज्ञेय किया जायेगा।

जहां,

SCC_m = माह हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार ;

SCC_p = माह के शीर्ष (व्यस्ततम) घंटो हेतु अनुपूरक क्षमता क्षमता प्रभार ;

SCC_{op} = माह के शीर्ष-बाह्य (अ-व्यस्ततम) घंटो हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार ;

SCC_{pn} = किसी विशिष्ट मौसम के 'n' वें माह के शीर्ष (व्यस्ततम) घंटो हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार ;

SCC_{opn} = किसी विशिष्ट मौसम के 'n' वें माह के शीर्ष बाह्य (अ-व्यस्ततम) घंटो हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार ;

AFC_e = उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली की वार्षिक स्थाई लागत ;

PAFMpn = किसी मौसम में 'n' वें माह के अन्त तक शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों के दौरान प्राप्त किया गया संयन्त्र उपलब्धता कारक ;

PAFMopn = किसी मौसम में 'n' वें माह के अन्त तक शीर्ष-बाह्य (अव्यस्ततम) घंटों के दौरान प्राप्त किया गया संयन्त्र उपलब्धता कारक ;

NAPAF = मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक अनुपूरक

(3) अधोनिष्पति (अण्डर-रिकवरी) या फिर अधिनिष्पति (ओवर-रिकवरी) के फलस्वरूप अनुपूरक क्षमता प्रभार की किसी अधोवसूली अथवा अधिवसूली बनाम मौसम (यथास्थिति उच्चमांग मौसम अथवा न्यूनमांग मौसम) को शीर्ष तथा शीर्ष बाह्य घंटों में मानदण्डीय वार्षिक संयन्त्र उपलब्धता कारक(NAPAF) की अधोनिष्पति अथवा अधिनिष्पति के साथ बनाम अन्य मौसम की शीर्ष (व्यस्ततम) तथा शीर्ष बाह्य (अ-व्यस्ततम) में 'NAPAF' से समायोजित नहीं किया जाएगा :

परन्तु मौसम की अवधि के अन्तर्गत 'NAPAF' पर आधारित व्युत्पादित संचयी शीर्षबाह्य घंटों हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार की वसूली में पाई गई किसी कमी को संयन्त्र उपलब्धता कारक की अधिनिष्पति द्वारा, यदि कोई हो, तथा उक्त मौसम में संचयी शीर्ष घंटों हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार की अनुवर्ती काल्पनिक वसूली द्वारा प्रतिसन्तुलित (ऑफसेट) किया जाना अनुज्ञेय किया जाएगा :

परन्तु आगे यह कि मौसम की अवधि के अन्तर्गत 'NAPAF' पर आधारित व्युत्पादित संचयी शीर्ष घंटों हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार की वसूली में पाई गई किसी कमी का 'संयन्त्र उपलब्धता कारक' में पाई गई किसी अधिनिष्पति, यदि कोई हो, तथा उक्त मौसम में संचयी शीर्ष घंटों हेतु अनुपूरक क्षमता प्रभार की अनुवर्ती काल्पनिक अधिवसूली द्वारा प्रतिसन्तुलित किया जाना अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

अनुपूरक क्षमता प्रभार के प्रयोजन हेतु माह के दौरान शीर्ष (व्यस्ततम) घंटों तथा शीर्ष-बाह्य (अव्यस्ततम) घंटों हेतु मानदण्डीय संयन्त्र उपलब्धता कारक और शीर्ष (व्यस्ततम) एवं शीर्ष बाह्य (अव्यस्ततम) घंटों पर विचार इन विनियमों के विनियम 42 के खण्ड (3) में 'निर्दिष्ट रीति' अनुसार किया जाएगा। माह हेतु संयन्त्र उपलब्धता कारक (PAFM) की गणना इन विनियमों के विनियम 42.5 के अनुसार की जाएगी।

23. मूल विनियमों के विनियम 43 में संशोधन

- 23.1 मूल विनियमों के विनियम 43 के शीर्षक के अन्त में शब्दों “तथा कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु अनुपूरक ऊर्जा प्रभार” को जोड़ा जाए।
- 23.2 मूल विनियमों के विनियम 43.1 के पश्चात् एक नवीन खण्ड, अर्थात् खण्ड (क) को निम्नानुसार जोड़ा जाए :

“43.1 (क) उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के कारण अनुपूरक ऊर्जा प्रभारों में सहायक ऊर्जा खपत तथा अभिकर्मक (रिएजेन्ट) खपत की लागत के कारण विभेदक (डिफरेंशियल) ऊर्जा प्रभार सम्मिलित किये जाएंगे तथा इनका भुगतान ऐसे प्रत्येक लाभार्थी को प्रदाय की जाने वाली अनुसूचित ऊर्जा हेतु कलेण्डर माह के दौरान एक्स-ऊर्जा संयन्त्र आधार पर, माह हेतु अनुपूरक ऊर्जा प्रभार दर पर किया जाएगा। विद्युत उत्पादन कम्पनी को माह हेतु देय कुल अनुपूरक ऊर्जा प्रभार निम्नानुसार होगा:

अनुपूरक ऊर्जा प्रभार = (अनुपूरक ऊर्जा प्रभार दर रूपये प्रति किलो वाट घंटे में) x {माह हेतु अनुसूचित ऊर्जा (एक्स बस), किलोवाट घंटे में}

- 23.3 मूल विनियमों के विनियम 43.2 में शब्दों “ऊर्जा प्रभार दर, (ECR)” के पश्चात् शब्दों “तथा अनुपूरक ऊर्जा प्रभार दर” को जोड़ा जाए।
- 23.4 मूल विनियमों के विनियम 43.2 के पश्चात् नवीन उप-खण्ड (क) निम्नानुसार स्थापित किया जाए :

“(क) कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु अनुपूरक ऊर्जा प्रभार दर :

$$\text{टनुपूरक ऊर्जा प्रभार दर (Supplementary ECR)} = (\Delta ECR) + \{ \text{SRC} \times \text{LPR} / 10 \} / (100 - (\text{AUXn}) + \text{AUXen})$$

(ΔECR) = $(\text{AUXn} + \text{AUXen})$ के बराबर उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली के साथ पुनरीक्षित सहायक ऊर्जा खपत से युक्त ऊर्जा प्रभार दर (ECR) और मानदण्डीय सहायक ऊर्जा खपत से युक्त ऊर्जा प्रभार जैसा कि इसे इन विनियमों में निर्दिष्ट तथा पुनरीक्षित किया गया है, के मध्य अन्तर :

SRC = पुनरीक्षित उत्सर्जन मानकों के कारण विशिष्ट अभिकर्मक (रिएजन्ट) खपत (ग्राम प्रति किलोवॉट घंटे में)

LPR =उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली हेतु अभिकर्मक का भारित औसत आगमित मूल्य (रूपये / किलोग्राम में)

24. मूल विनियमों के विनियम 44 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 44.1 में शब्दों ताप विद्युत केन्द्र के “पश्चात् शब्दों” ऊर्जा प्रभार में” के स्थान पर शब्दों “ऊर्जा प्रभारों तथा अनुपूरक ऊर्जा प्रभारों” को स्थापित किया जाए।

25. मूल विनियमों के विनियम 46 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 46 में शब्दों “केन्द्रीय आयोग द्वारा पृथक से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार” के स्थान पर शब्द “इन विनियमों के विनियम 49 में निर्दिष्ट किये गये अनुसार” अन्तःस्थापित किये जाएं।

26. मूल विनियमों के विनियम 49 में संशोधन

26.1 मूल विनियमों के विनियम 49.1 में शब्दों “ऊर्जा प्रभारों” के पश्चात् शब्द “अनुपूरक क्षमता प्रभार, अनुपूरक ऊर्जा प्रभार” अन्तःस्थापित किये जाएं।

26.2 मूल विनियमों के विनियम 49.3 के उप-खण्ड (ड) के पश्चात् उप-खण्ड (च) निम्नानुसार स्थापित किया जाए :

“(च) ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों की उत्सर्जन नियन्त्रण प्रणाली (AUXen) हेतु सहायक ऊर्जा खपत के मानदण्ड:

| तकनीक का नाम | AUXen (सकल विद्युत उत्पादन के प्रतिशत के रूप में) |
|---|---|
| (1) सल्फर डाइ ऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने हेतु | |
| क) नमी युक्त चूना पत्थर आधारित FGD प्रणाली (बिना गैस से लेकर गैस हीटर तक) | 1.0% |
| ख) शुष्क चूना छिड़काव या चूना छिड़काव (लाईमस्प्रे ड्रायर) या अर्द्ध-शुष्क FGD प्रणाली | 1.0% |
| ग) शुष्क शोषक अन्तःक्षेपण प्रणाली(Dry Sorbent injection system) (सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग द्वारा) | शून्य |
| घ) CBFC विद्युत संयन्त्र हेतु (फर्नेस अन्तःक्षेपण) | शून्य |
| ड) समुद्र जल पर आधारित प्रणाली (गैस हीटर की गैस के बिना) | 0.7% |
| (2) नाइट्रोजन के आक्साइड के उत्सर्जन को कम | |

| करने हेतु | |
|--|-------|
| क) चयनात्मक गैर-उत्सर्जक (non-catalytic) न्यूनीकरण प्रणाली | शून्य |
| ख) चयनात्मक उत्सर्जक (catalytic) न्यूनीकरण प्रणाली | 0.2% |

परन्तु यह कि जहां प्रौद्योगिकी “गैस से गैसहीटर” के साथ स्थापित की जाती है। वहां उपरोक्त विनिर्दिष्ट AUXen में सकल विद्युत उत्पादन के 0.3% तक की वृद्धि की जाएगी।”

26.3 मूल विनियमों के विनियम 49 के खण्ड (च) के पश्चात् एक नवीन खण्ड, अर्थात् खण्ड (छ) निम्नानुसार जोड़ा जाए :

“(छ) अभिकर्मक (रिएजेन्ट) की खपत हेतु मानदण्ड : (1) सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी करने हेतु विशिष्ट अभिकर्मक (रिएजन्ट) की मानदण्डीय खपत निम्नानुसार होगी :

(क) नमी युक्त चूना पत्थर (लाईम स्टोन) आधारित फ्लूगैसडि-सल्फीकरण (FGD) प्रणाली हेतु: विशिष्ट चूनापत्थर (लाईम स्टोन) खपत (ग्राम) / किलोवाट घंटे) की गणना निम्न सूत्र द्वारा की जाएगी :

$$[K \times SHR \times S/CVPF] \times [85/LP]$$

जहां

S = गंधक की मात्रा (सल्फर कानटेंट), प्रतिशत में,

LP = चूनापत्थर (लाईमस्टोन) की शुद्धता, प्रतिशत में,

SHR = सकल स्टेशन उष्मा दर, किलो कैलोरी प्रतिकिलोवाट घंटे में

CVPF = कोयले का भारित औसत सकल उष्मीय मान (calorific value), जैसा कि वह प्राप्त किया गया हो, किलो कैलोरी प्रतिकिलोग्राम में, कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु में से 85 किलोकैलोरी / किलोग्राम घटाकर जो विद्युत उत्पादन केन्द्र पर भण्डारण के दौरान भिन्नता (Variation) के कारण हो सकता है :

परन्तु यह कि K का मूल्य इकाईयों द्वारा 100 / 200 mg/Nm³ या (26.8 x रूपांकन SO₂ निष्कासन दक्षता / 73%) सल्फर डाइऑक्साइड (SO₂) उत्सर्जन

मानदण्ड के अनुपालन हेतु ($35.2 \times$ रूपांकन SO_2^f नष्टासन दक्षता / 96%) के बराबर होगा ताकि इकाईयों द्वारा 600 mg/Nm^3 सल्फर डाइऑक्साइड (SO_2) उत्सर्जन का मानदण्ड प्राप्त किया जा सके।

परन्तु आगे यह और कि चूनापत्थर शुद्धता (लाइम स्टोन प्यूरिटी) 85% से कम न होगी।

- (ख) चूना छिड़काव शोबित्र (लाइम स्प्रे झायर) या अर्द्ध-शुष्क फ्लूरौसेडि-सल्फीकरण (FGD) प्रणाली : विशिष्ट चूना खपत की गणना चूने की न्यूनतम शुद्धता (LP) जैसा कि वह 90% पर हो, या फिर इससे अधिक सूत्र [$6x90/LP$] के अनुप्रयोग द्वारा ग्राम प्रतिकिलोवाट घंटे के आधार पर की जाएगी।
- (ग) शुष्क शोषक अन्तःक्षेपण प्रणाली (Dry Sorbent Injection System) (सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग द्वारा) : सोडियम बाइकार्बोनेट की विशिष्ट खपत 100% शुद्धता पर 12 ग्राम प्रति किलोवॉट घंटे होगी।
- (घ) CBFC प्रौद्योगिक (फर्नेस अन्तःक्षेपण) आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र हेतु : CBFC आधारित विद्युत उत्पादन केन्द्र (फर्नेस अन्तःक्षेपण) हेतु विशिष्ट चूनापत्थर (लाइमस्टोन) खपत की गणना निम्नसूत्र के आधार पर की जाएगी :

$$[62.9 \times S \times \text{SHR}/\text{CPF}] \times [85/\text{LP}]$$

जहां,

S = गंधक (सल्फर) की मात्रा प्रतिशत में,

LP = चूनापत्थर (लाइम स्टोन) शुद्धता, प्रतिशत में,

SHR = सकल स्टेशन उष्णा दर, किलो कैलोरी प्रति किलोवाट ऑवरमें

CVPF = कोयले का भारित औसत सकल उष्णीय मान (calorific value), जैसा कि वह प्राप्त किया गया हो, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम में, कोयला आधारित ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों हेतु में से 85 किलोकैलोरी / किलोग्राम घटाकर जो विद्युत उत्पादन केन्द्र पर भण्डारण के दौरान भिन्नता (Variation) के कारण हो सकता है :

- (ङ) समुद्री जल आधारित फ्लौगैसडि-सल्फीकरण (FGD) प्रणाली हेतु : समुद्री जल आधारित फ्लौगैसडिसल्फी करण (FGD) प्रणाली हेतु उपयोग किये जाने वाले अभिकर्मक (रिएजेन्ट) की मात्रा शून्य होगी।
- (2) नाइट्रोजन के ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी करने हेतु विभिन्न तकनीकों हेतु विशिष्ट अभिकर्मक (रिएजेन्ट) की मानदण्डीय खपत निम्नानुसार होगी :
- (क) चयनात्मक गैर-उत्सर्जक (non-catalytic) न्यूनीकरण प्रणाली हेतु : विशिष्ट यूरिया खपत 100% यूरिया की शुद्धता पर 1.2 ग्राम प्रति किलोवाट घंटे होगी।
- (ख) चयनात्मक उत्सर्जक न्यूनीकरण (SCR) प्रणाली हेतु : चयनात्मक उत्सर्जन कच्चूनी करणप्रणाली (SCR System) हेतु विशिष्ट अमोनिया खपत 100% अमोनिया शुद्धता पर 0.6 ग्राम प्रति किलोवाट घंटे होगी।"

27. मूल विनियमों के विनियम 65 में संशोधन

मूल विनियमों के विनियम 65.2 के परन्तुक के पश्चात् नवीन विनियम 65.3 निम्नानुसार स्थापित किया जाए :

"65.3 उड़न राख (फ्लाई एश) की उपयोगिता तथा परिवहन हेतु व्ययों का भुगतान भारत सरकार, पर्यावरण, वन तथा जल वायु परिवर्तन मन्त्रालय द्वारा अधिसूचना क्रमांक S.O. 5481 (E) दिनांक 31.12.2021 के माध्यम से जारी दिशा-निर्देशों के एवं समय-समय पर जारी संशोधन अनुसार किया जाएगा :

परन्तु यह कि विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा उड़न राख की उपयोगिता एवं परिवहन के बारे में पृथक लेखे/अभिलेख संधारित किये जाएंगे तथा इनका मिलान वार्षिक अंकेक्षितलेखों के साथ किया जाएगा जिसे वैधानिक अंकेक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा। विद्युत उत्पादन कम्पनी द्वारा इन व्ययों को पूर्ण विवरणों के साथ प्रारूप TPS 19(A)में मय सहायकप्रलेखों के तत्संबंधी वर्ष हेतु प्रापक को उपलब्ध करने होगे।

28. मूल विनियमों के परिशिष्ट-1 के भाग-1 में संशोधन

28.1 मूल विनियमों के परिशिष्ट-1 के भाग-1 के प्ररूप 15 के पश्चात् एक नवीन प्रारूप नामतः, प्रारूप 15—क स्थापित किया जाए।

28.2 मूल विनियमों के परिशिष्ट—1 के भाग—1 के प्रारूप 19 के पश्चात् एक नवीन प्रारूप 19—क स्थापित किया जाए।

आयोग के आदेशानुसार,
उमाकान्ता पाण्डा, सचिव.

टीप : (i) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2020 का प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र में दिनांक 28 फरवरी, 2020 को किया गया था।

(ii) मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020, {एआरजी—26(IV)(i) वर्ष 2023} का प्रकाशन मध्य प्रदेश राजपत्र में दिनांक 27 जनवरी, 2023 को किया गया था।

टीप : इस मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2020, में द्वितीय संशोधन के हिन्दी रूपांतरण के प्रावधानों की व्याख्या या विवेचन या समझने की स्थिति में किसी भी प्रकार का विरोधाभास होने पर इसके अंग्रेजी संस्करण में दी गई विवेचना के अनुसार ही उसका तात्पर्य माना जाएगा एवं इस संबंध में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में आयोग का निर्णय अन्तिम एवं बाध्य होगा।

परिशिष्ट-1

भागा
प्ररूप-15 क

अनुपूरक ऊर्जा प्रभार दर की गणना हेतु अभिकर्मक (Reagent) के विवरण

याचिका कर्ता का नाम _____

विद्युत उत्पादन केन्द्र का नाम _____

| संख्या क्रमांक | माह | इकाई(UNIT) | पूर्व के | पूर्व के | पूर्व के |
|----------------|--|----------------------|----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| | | | तृतीय माह हेतु (प्रचालन तिथि से) | द्वितीय माह हेतु (प्रचालन तिथि से) | प्रथम माह हेतु (प्रचालन तिथि से) |
| 1 | अभिकर्मक की प्रारंभिक मात्रा | (मीट्रिक टन) | | | |
| 2 | चूनापत्थर (लाइमस्टोन) प्रदाय कम्पनी द्वारा प्रदान की गई अभिकर्मक(Reagent) की मात्रा | (मीट्रिक टन) | | | |
| 3 | चूनापत्थर (लाइमस्टोन) या अभिकर्मक (Reagent) प्रदाय कम्पनी द्वारा प्रदत्त मात्रा का समायोजन (+/-) | (मीट्रिक टन) | | | |
| 4 | प्राप्त अभिकर्मक(Reagent)की शुद्ध मात्रा (1 ± 2) | (मीट्रिक टन) | | | |
| 5 | अभिकर्मक प्रदाय कम्पनी द्वारा प्रभारित की गई राशि | (रूपये) | | | |
| 6 | कम्पनी द्वारा अभिकर्मक प्रदाय हेतु प्रभारित की गई राशि का समायोजन (+/-) | (रूपये) | | | |
| 7 | प्रभारित की गई कुल राशि (4 ± 5) | (रूपये) | | | |
| 8 | रेलवे/पोत/सड़क परिवहन द्वारा प्रभारित किये गये परिवहन प्रभार | (रूपये) | | | |
| 9 | रेलवे/परिवहन कम्पनी द्वारा प्रभारित की गई राशि का समायोजन (+/-) | (रूपये) | | | |
| 10 | विलम्ब शुल्क(Demurrage Charges), यदि कोई लागू हो | (रूपये) | | | |
| 11 | कुल परिवहन प्रभार($7 \pm -8 - 9$) | (रूपये) | | | |
| 12 | प्रदत्त अभिकर्मक (Reagent) हेतु कुल प्रभारित की गई राशि, परिवहन प्रभारों को सम्मिलित करते हुए ($6+10$) | (रूपये) | | | |
| 13 | माह के दौरान अभिकर्मक (Reagent) की भारित औसत लागत | (रूपये / मीट्रिक टन) | | | |
| 13 | माह के दौरान प्राप्त किये गये अभिकर्मक की शुद्धता | (%) | | | |

(याचिकाकर्ता)

परिशिष्ट-४

भागा

प्ररूप-19 क

उड्डन राख (फ्लाई एश) परिवहन तथा उपयोगिता व्यर्थों के विवरण

(याचिकाकर्ता)